40—(08)—42—2016

पटना में दिनांक—24 अगस्त, 2016 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

आपदा प्रबंधन विभाग

1. राज्य आपदा रिस्पांस बल में संविदा पर कार्यरत सभी कार्मिकों का वार्षिक अवकाश 20 दिन से बढ़ाकर 40 दिन, मानदेय में 3000/—की वृद्धि तथा वर्दी भत्ता की दर पुलिस के समकक्ष स्तर के समान करने के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

2. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में निबंधक सेवा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति/ प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों के गठन हेतु "बिहार राजकीय अभियंत्रण/ पोलिटेकनिक निबंधक सेवा नियमावली, 2016" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 2. **स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

3. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन बिहार विकास मिशन, पटना को राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016—17 में सहायक अनुदान मद में उपबंधित राशि 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 3. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

4. बिहार अग्निशमन सेवा के विस्तार के फलस्वरूप तीन अनुमंडल मुख्यालयों—फुलपरास, तेघड़ा एवं बलिया में स्थापित फायर स्टेशन के लिए विभिन्न कोटि के पदों के सृजन के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

5. बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 में संशोधन के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

6. दरभंगा जिला अन्तर्गत घनश्यामपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य के प्रा०नि०क्षे० संख्या—06, 09, 10, 15 एवं 16 तथा पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत तुरकौलिया प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य के प्रा०नि०क्षे० संख्या—15 एवं 16 और कल्याणपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य के प्रा०नि०क्षे० संख्या—10 एवं 11 के रिक्त पदों पर दिनांक—20.09.2016 को मतदान संपन्न कराने हेतु अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

7.	पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर नगर पंचायत को नगर परिषद घोषित करने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

8.	पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹ 638.54 करोड़ (छः सौ अड़तीस करोड़ चौवन लाख रू०) मात्र तथा अनुदान के रूप में राज्य के कुल व्यय के 2.75% में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹ 287.31 करोड़ (दो सो सतासी करोड़ एकतीस लाख रू०) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹ 925.85 करोड़ (नौ सौ पचीस करोड़ पचासी लाख रू०) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में क्रमशः ₹ 319.27 करोड़ (तीन सौ उन्नीस करोड़ सताइस लाख रू०) एवं ₹ 143.655 करोड़ (एक सौ तेतालिस करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार रू०) अर्थात् कुल ₹ 462.925 करोड़ (चार सौ बासठ करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रू०) मात्र राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच सहायक अनुदान के रूप में वितरित करने की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

9.	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के पास वीयर का निर्माण कार्य हेतु रू० 3879.61 लाख (अड़तीस करोड़ उन्नासी लाख एकसठ हजार) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	9.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

10.	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2011 में संविदा के आधार पर नियोजित 435 कनीय अभियंता (असैनिक) में से वर्त्तमान में कार्यरत 233 एवं वर्ष 2012 में संविदा के आधार पर नियोजित एक कनीय अभियंता (असैनिक) कुल 234 कनीय अभियंताओं (असैनिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन।	10.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

11.	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2009 में संविदा के आधार पर नियोजित 1103 कनीय अभियंता (असैनिक) में से वर्त्तमान में कार्यरत 533 कनीय अभियंता (असैनिक) एवं वर्ष 2009 में नियोजित (पूर्व में कार्यरत) चार कनीय अभियंता (असैनिक) कुल 537 कनीय अभियंता (असैनिक) का एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन।	11.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

12. लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु लघु जल संसाधन विभाग के लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

13. षोडश बिहार विधान सभा के तृतीय–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 183वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

14. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्यादेश (ordinance) पर स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में। — 14. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2015–16 तक Infrastructure Maintenance अन्तर्गत राज्यांश मद में बकाये राशि 334.45 करोड़ (तीन अरब चौंतीस करोड़ पैंतालिस लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत उपबंधित राज्यांश की राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय हेतु आवंटित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। — 15. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

16. बिहार राज्य में कौशल विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू० 23515 लाख (दो सौ पैंतीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को विमुक्त करने के संबंध में। — 16. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

17. श्री शुभेश्वर कुमार, तत्कालीन कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल–3 सम्प्रति कारखाना निरीक्षक, पटना अंचल–2, पटना के विरूद्ध वृहद् दण्ड "सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" का दण्ड अधिरोपित करने का प्रस्ताव। — 17. **स्वीकृत।**